भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1243

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2026

बुधवार, 7 श्रावण, 1948 (शक)

कौशल प्रशिक्षण के परिणाम, रोजगार सृजन और कार्यनिष्पादन-आधारित भुगतान

1243 श्री विवेक के. तन्खा:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अलग-अलग ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रशिक्षुओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण के दौरान या उसके पश्चात् रोजगार प्राप्त हुआ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के कारण प्रशिक्षण प्रदाताओं का कितना भुगतान रोका गया और वह सरकार द्वारा किए गए कुल प्रशिक्षण व्यय का कितने प्रतिशत है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एमएसडीई की योजनाओं के तहत विभिन्न व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू की गई योजना के पहले तीन चरणों - पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन पर नजर रखी गई, जिसमें कुल 1.11 करोड़ उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया, जिनमें से 24.38 लाख उम्मीदवारों को योजना के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत नियोजित किया गया। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विभिन्न करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत व्यापक सुधारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें आधार-आधारित ई-केवाईसी, चेहरे का प्रमाणीकरण और जियो-टैग की गई उपस्थिति, क्यूआर-कोड वाले डिजिटल प्रमाणपत्र, स्किल इंडिया डिजिटल हब पर वास्तविक समय के डैशबोर्ड, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता और प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता को सुदृढ़ करना, कौशल समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्वतंत्र निगरानी, स्पष्ट प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई) के साथ संशोधित निगरानी दिशानिर्देश और एक मजबूत दंड और वसूली कार्यढांचा शामिल हैं।

जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया गया, निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग, धनराशि की वसूली और अन्य कठोर उपायों सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जिससे योजना के तहत मजबूत जवाबदेही, सत्यापन और निगरानी तंत्र स्थापित हुए। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान 2,314.09 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है। इस अवधि के दौरान, प्रशिक्षकों की उपस्थिति संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण 400 करोड़ रुपए से अधिक (उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई कुल धनराशि का लगभग 17.3%) का भुगतान आगे की जांच के लिए रोक दिया गया है।

अनुबंध

'कौशल प्रशिक्षण के परिणाम, रोजगार सृजन और कार्य निष्पादन आधारित भुगतान' के संबंध में दिनांक 29.07.2026 को उत्तरार्थ राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1243 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएसडीई की योजनाओं के तहत देश भर में विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या:

(i) पीएमकेवीवाई:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2023-24	2024-25	2025-26
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	648	909	30
आंध्र प्रदेश	32,449	35,471	3,094
अरुणाचल प्रदेश	4,152	10,054	125
असम	38,190	75,182	5,902
बिहार	23,613	99,982	4,451
चंडीगढ़	319	628	148
छत्तीसगढ	8,385	16,452	490
दिल्ली	10,686	12,277	2,769
गोवा	183	236	12
गुजरात	19,975	39,762	949
हरियाणा	27,411	75,942	8,308
हिमाचल प्रदेश	5,348	19,341	3,582
जम्मू और कश्मीर	28,895	85,557	4,689
झारखंड	8,796	30,034	1,785
कर्नाटक	13,025	69,486	7,339
केरल	8,832	10,449	1,118
लद्दाख	445	312	-
लक्षद्वीप	-	120	-
मध्य प्रदेश	34,884	2,59,871	16,686
महाराष्ट्र	35,284	75,368	8,180
मणिपुर	2,879	20,798	1,067
मेघालय	2,502	7,938	1,168
मिजोरम	3,533	6,871	1,384
नागालैंड	3,830	7,299	662
ओडिशा	21,457	26,231	2,189
पुदुचेरी	1,556	3,096	646
पंजाब	11,836	1,06,699	10,259
राजस्थान	23,564	2,80,156	10,856
सिक्किम	2,802	2,874	-
तमिलनाडु	34,533	85,689	10,786
तेलंगाना	15,390	22,188	6,344
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	301	1,407	75
त्रिपुरा	5,081	14,363	1,906
उत्तर प्रदेश	71,771	4,63,503	28,823
उत्तराखंड	11,669	35,364	3,650
पश्चिम बंगाल	25,768	36,410	3,916

(ii) जेएसएस:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2023-24	2024-25	2025-26
अंडमान और निकोबार	1800	1800	1797
आंध्र प्रदेश	10800	10769	10795
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	9000	10799	10798
बिहार	37786	36733	37073
चंडीगढ़	1800	1770	1462
छत्तीसगढ	23376	24967	25158
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3179	2417	3197
दिल्ली	5398	5391	5363
गोवा	1800	1700	1799
गुजरात	14160	14311	14889
हरियाणा	7181	3333	3437
हिमाचल प्रदेश	18630	18052	18865
जम्मू और कश्मीर	1020	680	2297
झारखंड	22439	20976	23063
कर्नाटक	21532	21509	21377
केरल	16198	15929	16199
लद्दाख	212	0	717
लक्षद्वीप	1772	900	999
मध्य प्रदेश	49089	51477	52082
महाराष्ट्र	37273	36861	37612
मणिपुर	7197	7219	7200
मेघालय	1800	1780	1759
मिजोरम	1800	963	922
नागालैंड	2631	540	2560
ओडिशा	50828	52123	52151
पंजाब	3560	2980	3458
राजस्थान	14831	15534	16180
तमिलनाडु	14780	15124	15818
तेलंगाना	10300	10787	10793
त्रिपुरा	3600	3480	3567
उत्तर प्रदेश	84573	82475	82532
उत्तराखंड	14393	13978	14304
पश्चिम बंगाल	12599	13133	14118

(iii) एनएपीएस:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2023-24	2024-25	2025-26
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	48	199	177
आंध्र प्रदेश	21,701	22,075	26,446
अरुणाचल प्रदेश	65	66	204
असम	8,174	5,801	10,028
बिहार	5,317	5,502	9,013
चंडीगढ़	1,231	1,692	1,739
छत्तीसगढ	5,249	5,362	6,820
दिल्ली	15,957	22,471	30,330
गोवा	11,882	11,770	12,412
गुजरात	83,957	90,796	1,09,027
हरियाणा	66,714	66,504	85,979
हिमाचल प्रदेश	10,212	9,257	10,891
जम्मू और कश्मीर	859	1,026	1,230
झारखंड	11,883	9,686	10,674
कर्नाटक	78,457	92,843	1,16,343
केरल	13,104	15,317	15,519
लद्दाख	66	50	19
लक्षद्वीप	6	8	14
मध्य प्रदेश	22,706	26,823	34,210
महाराष्ट्र	2,63,245	2,78,423	3,01,910
मणिपुर	18	187	219
मेघालय	212	328	175
मिजोरम	12	146	280
नागालैंड	15	24	40
ओडिशा	10,755	10,757	12,416
पुदुचेरी	2,469	4,268	5,953
पंजाब	14,761	15,510	25,649
राजस्थान	18,230	22,328	32,243
सिक्किम	298	439	508
तमिलनाडु	1,01,553	1,01,788	1,43,236
तेलंगाना	37,775	34,017	47,501
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,878	3,570	4,100
त्रिपुरा	383	449	533
उत्तर प्रदेश	71,505	78,966	1,06,269
उत्तराखंड	21,058	22,887	30,643
पश्चिम बंगाल	29,538	23,324	35,153

(iv) सीटीएस/आईटीआई:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2023	2024	2025
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	481	838	829
आंध्र प्रदेश	50,568	52,447	54,213
अरुणाचल प्रदेश	733	669	697
असम	5,325	4,256	5,725
बिहार	125,625	116,293	116,754
चंडीगढ़	1,083	898	1,175
छत्तीसगढ	24,226	22,237	23,970
दिल्ली	10,288	9,368	10,970
गोवा	2,255	2,161	2,404
गुजरात	98,454	78,811	90,790
हरियाणा	54,944	51,465	53,477
हिमाचल प्रदेश	23,371	18,801	16,973
जम्मू और कश्मीर	8,504	8,226	10,047
झारखंड	40,108	40,263	48,331
कर्नाटक	78,724	64,447	71,839
केरल	33,196	30,445	30,132
लद्दाख	368	375	421
लक्षद्वीप	360	341	210
मध्य प्रदेश	73,224	69,309	79,970
महाराष्ट्र	128,009	115,889	130,810
मणिपुर	812	721	894
मेघालय	714	992	1,000
मिजोरम	396	260	328
नागालैंड	240	379	324
ओडिशा	65,801	54,855	61,348
पुदुचेरी	796	695	704
पंजाब	43,997	40,370	44,247
राजस्थान	109,648	90,937	88,418
सिक्किम	312	353	431
तमिलनाडु	41,127	35,466	39,119
तेलंगाना	29,579	33,583	40,452
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	908	822	841
त्रिपुरा	2,452	2,240	2,714
उत्तर प्रदेश	333,024	317,044	385,871
उत्तराखंड	11,499	8,661	11,526
पश्चिम बंगाल	44,211	40,216	42,323
